भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2630

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

चार श्रम संहिताएं

2630. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक कितने राज्यों ने नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बना लिए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देशभर में श्रम संहिताओं का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा पर श्रम संहिताओं के प्रभाव का आकलन किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि नियोक्ता नई मजदूरी संहिता का अनुपालन करे ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): "श्रम" विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है और संहिताओं के तहत नियम बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को सौंपी गई है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वेतन संहिता, 2019 के तहत 34, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 33, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 32 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत 33 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

केंद्र-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न परामर्श आयोजित किए गए हैं।

चारों श्रम संहिताएं असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित अन्य कामगारों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और उसके समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, कामगारों के स्वास्थ्य देखभाल आदि के संदर्भ में उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करने के प्रावधान करती है। पहली बार प्रतिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करने का वैधानिक उपबंध भी किया गया है, इससे नियोजन का औपचारिक अनुबंध हो जाता है, जिससे नौकरी की सुरक्षा बढ़ जाती है।

मजदूरी संहिता, 2019 के अनुपालन के लिए निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की नियुक्ति शामिल है, जो संहिता के प्रावधानों के अनुपालन, आकस्मिक निरीक्षण आदि के संबंध में नियोक्ताओं को सलाह देगा।

*****